ऑन लाईन नं. **RCMS 2017/00180**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 86/2017

1. कमला देवी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी चक 1 ईईए प्रथम की ढाणी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेश कुमार पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी चक 1 ईईए प्रथम की ढाणी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. विनोद कुमार पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी चक 1 ईईए प्रथम की ढाणी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी चक 1 ईईए प्रथम की ढाणी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 1 ईईए प्रथम की ढाणी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. पृथ्वीराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 1 ईईए प्रथम की ढाणी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. बिरमादेवी पत्नी श्री गिरधारी लाल जाति जाट साकिन बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. पृथ्वी राज पुत्र श्री गुरदयाल राम उर्फ गुरदयाल सिंह जाति जाट साकिन बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्ण लाल पुत्र श्री गुरदयाल राम उर्फ गुरदयाल सिंह जाति जाट साकिन बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. गिरधारी लाल पुत्र श्री गुरदयाल राम उर्फ गुरदयाल सिंह जाति जाट साकिन बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. सन्तो देवी पसत्नी श्री केसरा राम पुत्री श्री गुरदयाल राम उर्फ गुरदयाल सिंह जाति जाट साकिन हाल पक्का भादवा की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. द्वारका देवी पत्नी श्री जगदीश पुत्री श्री गुरदयाल राम उर्फ गुरदयाल सिंह जाति जाट साकिन हाल 12/13 के.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. उपतहसीलदार (राजस्व) उप तहसील बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विद्व इन्तकाल संख्या 540 दिनांक 27.11.2017
उपतहसीलदार बींझबायला बमुराद मन्सुखी आदेश इन्तकाल

उपस्थित : **1. श्री सुरेश अरोड़ा , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण**
2. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–25.04.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफे कानून व रूहादादे मिसल है जो कि काबिले निरस्ती है। नकल इंतकाल सलंग्न है।
2. यह कि जब रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को इस तथ्य की बखूबी जानकारी थी कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है तथा माननीय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

यउच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के कब्जा के सम्बन्ध में स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में राजस्व अभिलेख में अंकन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए उक्त आदेश/ इन्तकाल बिना अधिकार के होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

3. यह कि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस स्थिति में भूमि की स्थिति में परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है परन्तु उक्त प्रकरण में उपतहसीलदार बींझबायला द्वारा विधि में दिए गए प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, मात्र अनुचित लाभ कमाने के आशय से, अपीलाण्ट को बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किए व बिना कब्जे की जांच किए, विवादास्पद भूमि का अमल दरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कर दिया जो कि बिना अधिकार के होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

4. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त इन्तकाल के आधार पर अब विवादग्रस्त भूमि को आगामी रहन, बैय व दीगर तरीके से मुन्तकिल करने पर उतारू है, इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया श्रीगंगानगर में ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन भी कर रखा है, यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि को उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में मामला विचाराधीन होने के दोरान किसी अन्य को रहन बैय अथवा दीगर हस्तांतरण करने में कामयाब हो गए तो अपीलाण्ट को ना पूरा होने वाला नुक्सान होगा, इसलिए अपीलांट ताफैसला अपील इस अमर की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इन्तकाल संख्या 540 दिनांक 27.11.2017 के आधार पर विवादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहें।

5. यह कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के मध्य सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील अनवानी श्रीमती कमला देवी आदि बनाम पृथ्वीराज आदि, एसबी सिविल सैकिण्ड अपील संख्या 220/2016 विचाराधीन है और भूमि का कब्जा भी सन 1976 से लेकर आज तक अपीलाण्ट के पास चला आ रहा है, माननीय उच्च जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है जो कि आज तक प्रभावी है, जिसकी बखूबी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 को है तथा विवादग्रस्त भूमि के इन्तकाल को तस्दीक न किए जाने की बाबत प्रार्थना पत्र भी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जिसका सीधा प्रभाव अपीलांट के हितों पर सीधा प्रभाव पर है। इस कारण उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सलंग्न अपील है।

6. यह कि अपील समायत अदालत है, अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार की है, तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावें तथा इन्तकाल संख्या 540 दिनांक 27.11.2017 उपतहसीलदार बींझबायला निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस कथन किया कि अपील में अंकित तथ्य ही मेरी बहस है। अपील में अंकित तथ्यों अनुसार ही अपील का निस्तारण किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि जरिये पंजीबंद बैयनामा दिनांक 20.10.2016 क्रय किया गया था। उपतहसीलदार बींझबायला द्वारा पंजीबद्व बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 540 दिनांक 27.11.2017 द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो सही स्वीकृत किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के कब्जा के सम्बन्ध में स्थगन आदेश एस.बी. सिविल सैकिण्ड अपील नम्बर 220/2016 अनवानी श्रीमती कमला देवी व अन्य बनाम पृथ्वीराज व अन्य में भी पारित किया हुआ था जो आर्डर दिनांक 13.03.2024 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर नायब तहसीलदार बींझबायला के इन्तकाल संख्या 540 दिनांक 27.11.2017 को बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.2017 इन्तकाल संख्या 540 दिनांक 27.11.2017 जो नायब तहसीलदार बींझबायला द्वारा बैयनामा दिनांक 20.10.2016 के आधार पर दर्ज किया गया था जो विधि सम्मत है क्योंकि बैयनामा को आज दिनांक तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, बैयनामा वर्तमान में भी स्टैण्ड कर रहा है। अपीलांट का यह कथन कि नायब तहसीलदार बीझंबायला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2016 होते हुए भी इन्तकाल स्वीकृत करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की अवहेलना है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन आदेश :–''Till the next date, pursuant to the dismissal of appeal by the first appellate court, the appellants shall not be dispossessed from the land in question.'' कब्जा के सम्बन्ध में था। वर्तमान में उक्त स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बींझबायला द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 540 दिनांक 27.11.2017 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार बींझबायला को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर